fnukd 24-06-2013 dk cfr;k ftyk ¼ifyl ftyk] cxgk½ e ifyl Qk;fjx e 6 0;fDr;k dh eR;q d lc/k e l;Dr tkp ifronuA

बेतिया जिला (पुलिस जिला–बगहा) में दिनांक 24.06.2013 को पुलिस फायरिंग से मारे गये 6 व्यक्तियों से संबंधित घटना की संयुक्त जाँच प्रधान सचिव, गृह विभाग के निदेशानुसार श्री आनन्द किशोर, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ एवं श्री एस0के0 भारद्वाज, अपर पुलिस महानिदेशक, विधि–व्यवस्था द्वारा की गयी। जाँच हेतु जाँच दल द्वारा घटना की तिथि दिनांक–24.06.2013 को रात्रि 10:00 बजे पटना से प्रस्थान किया गया तथा दिनांक 25.06.2013 के पूर्वाह्न लगभग 02:00 बजे बेतिया पहुंचा गया। दिनांक 25.06.2013 को सुबह 06:00 बजे जाँच दल द्वारा सदर अस्पताल, बेतिया जाकर घायल व्यक्तियों एवं पुलिस कर्मियों से पूछ–ताछ की गयी। तत्पश्चात् जाँच दल द्वारा बाल्मिकीनगर जाकर मृतकों के परिजनों, ग्रामीणों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से पूछ–ताछ की गयी। इसके पश्चात् जाँच दल द्वारा इस घटना में सम्मिलित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बगहा, पुलिस निरीक्षक, अन्य पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों से पूछ–ताछ की गयी। इसके अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से भी इस घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। इन सभी से पूछताछ एवं जाँच के पश्चात जाँच दल द्वारा 26.06.2013 के अपराह्न में पटना वापस आया गया। तत्पश्चात दिनांक 27.06.2013 को जाँच दल द्वारा पी.एम.सी.एच. (पटना मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल) में भर्ती हुए घायल व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा घायलों से पूछताछ की गई। तद्नुसार जाँच के क्रम में विभिन्न विन्दुओं का उल्लेख अग्रलिखित कंडिकाओं में किया जा रहा है।

2- *erdk d ifjtuk ,o vU; xkeh.kk dk c;ku* :–

2-1 Jh [krbir] firk Jh dekj [krbir, ग्राम–देवताहा, थाना–नौरंगिया द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.06.2013 (शनिवार) को देवताहा गाँव में रामचन्द्र खतईत के द्वारा आयोजित अष्टजाम हेतु श्री चन्देश्वर काजी ग्राम–दरदरी के द्वारा साउन्ड सिस्टम लगाया गया था एवं उसी रात (15.06.2013) को श्री रविकेश काजी जो ग्राम–अमवा के निवासी हैं, के साथ चन्देश्वर काजी ने शाम में शराब पीया, उसके बाद उसी रात से चन्देश्वर काजी लापता हो गया और लोगों के द्वारा खोजबीन किये जाने पर भी नहीं मिला। दिनांक 17.06.2013 (सोमवार) को नौरंगिया थाना में इसकी सूचना दी गयी, परन्तु यह कहकर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया कि मामला बाल्मिकीनगर थाने का है। दिनांक 18.06.2013 (मंगलवार) को वाल्मिकिनगर थाना को इसकी सूचना दी गयी, परन्तु वहाँ भी मामला दर्ज नहीं किया गया एवं जानबूझकर पुलिस के द्वारा परेशान किया गया। दिनांक 19.06.2013 को नौरंगिया थाना में गुमशुदगी का सनहा दर्ज हुआ एवं दिनांक 22.06.2013 (शनिवार) को नौरंगिया थाना में अपहरण का मामला दर्ज किया गया, जिसमें रविकेश कुमार एवं अन्य दो को अभियुक्त बनाया गया। दिनांक 23.06.2013 (रविवार) को रात्रि में पुलिस के द्वारा इस मामले के अभियुक्त रविकेश को हिरासत में लिया गया। दिनांक 24.06.2013 (सोमवार) को सुबह 08.00 बजे दरदरी गाँव के 100–150 लोग थाना पर इकट्ठा हो गये। बातचीत करने के बाद वहाँ से लोग हट गये। दिन में फिर हल्ला हुआ कि लाश कटहरा पुल के पास है। इस सूचना पर बहुत से लोग जुट गये। पुलिस दल के 5–6 सदस्य एवं गाँव के लोग गुठरी भवसा ब्रीज के पास लाश वरामदगी हेतु पहुंचे, परन्तु वहाँ कोई भी लाश बरामद नहीं किया गया। ग्रामीणों के द्वारा अभियुक्त श्री रविकेश कुमार को उसी जगह पर लाकर लाश की खोजबीन करने हेतु पुलिस से जिद

किया गया। पुलिस एवं ग्रामीणों के बीच कहासुनी एवं झड़प हुई। अमवा एवं देवताहां गाँव के बीच घुटरी भवसा नामक स्थल पर पुलिस के द्वारा महिलाओं पर लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसपर पब्लिक भड़क गई और पुलिस पर लोगों द्वारा ईंट पत्थर चलाया जाने लगा। उस समय ग्रामीणों की संख्या करीब 2,500 एवं पुलिस बलों की संख्या–35 के आसपास थी। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा आम जनता पर गोली चला दी गयी, जिससे 6 लोग मारे गए एवं काफी लोग घायल हो गये।

2-2 Jh dnkjukFk ilkn] firk fo'oukFk egrk, ग्राम–दरदरी, थाना–नौरंगिया के द्वारा बताया गया कि पुलिस एवं ग्रामीण जब गुठरी भवसा ब्रीज के पास अपहृत चन्देश्वर काजी की तलाश करने गये तो वहां कुछ भी नहीं मिला। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस दल से अभियुक्त रविकेश को थाना से उसी स्थल पर लाकर पूछने को कहा गया कि उसने चन्देश्वर काजी को कहां दफनाया है। इसी बीच घुटरी भवसा ब्रीज के पास जनता एवं पुलिस के बीच कहा–सुनी हुई। कुछ भी बरामद नहीं होने से गांव वाले आक्रोशित हो गये। गांव वाले पुलिस को घेर कर अभियुक्त को लाने की जिद करने लगे। इसी क्रम में पुलिस एवं गांव वालों के बीच झड़प एवं हाथापाई शुरू हो गया। पुलिस के द्वारा महिलाओं पर लाठी चार्ज कर दिया गया। इस पर लोग भड़क गये और पुलिस पर पथराव करने लगे। इसी क्रम में पुलिस द्वारा गोली चला दी गयी। उस समय ग्रामीणों की संख्या लगभग 2,500 एवं पुलिस बलों की संख्या–35 के आसपास था।

2-3 Jh lqj'k ilkn] firk Lo- xkikyh egrk, ग्राम–पिपरा, थाना–वाल्मीकिनगर, जो पुलिस गोली कांड में मृतक ब्रहम्देव खतईत के बहनोई हैं, के द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.06.2013 को जब वे बगहा शहर में थे तभी उन्हें भाई के द्वारा कटहरवा गाँव में गोली चलने की सूचना दी गयी। जब कटहरवा जाने लगे तो लौकरिया गाँव के पास पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। 04.00 बजे शाम को मैं भाया मिश्रौली हरनाटांड़ होते हुए घटना स्थल पर पहुँचा। ब्रहम्देव खतईत के खेत में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा बताया गया कि बह्मदेव खतईत को पुलिस उठा कर ले गयी है।

2-4 Jherh geUrh noh] ifr /kelthr [krbZr, ग्राम–देवताहा, थाना वाल्मीकिनगर के द्वारा बताया गया कि वे और उसके पति धर्मजीत खतईत बाजार जा रहे थे, उसी क्रम में पुलिस के द्वारा गोली चलाई गयी जो धर्मजीत खतईत को लगी। उनके द्वारा धर्मजीत खतईत को उठाने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिस उसे उठाने नहीं दी एवं उन्हें भी गोली मारने की धमकी दी गयी। वे जान बचाकर गांव के दूसरे व्यक्ति के घर में घुस गई। पुलिस द्वारा उस घर को घेर लिया गया। उन्होने जान बचाकर दूसरे घर में छिपने का प्रयास किया, परंतु पुलिस उस घर को भी घेर लिया, फिर अपनी पहचान छुपाने हेतु उस घर की एक महिला का कपड़ा पहन कर भागी।

2-5 Jh eucgkyh Fkk:] firk Lo0 lkgj dkth, ग्राम सेमरा घुसुकपुर, थाना लौकरिया के द्वारा बताया गया कि मृतक तुलसी राय, पे.–सुखदेव राय, ग्राम सेमरा घुसकपुर, थाना लौकरिया गुजरात में काम करते थे, वे चार दिन पूर्व अपने ससुराल गौरी बेलबा आए थे एवं घटना के दिन वे ससुराल से वापस अपने गांव सेमरा घुसुकपुर आ रहे थे, इसी क्रम में उन्हें गोली लगी।

2-6 Jh x.k'k pkrfj;k] firk Lo0 nkeknj pkrfj;k, ग्राम सेमरीडीह, थाना वाल्मीकिनगर के द्वारा बताया गया कि मृतक अनूप चौतरिया, पिता भीम चौतरीया, ग्राम

सिमरीडीह, थाना वाल्मीकिनगर के निवासी हैं। मृतक अनूप चौतरिया गनौली उच्च विद्यालय का दसवीं का छात्र था।

2-7 Jh Hkhe egrk] firk ine egrk, ग्राम दरदरी, थाना वाल्मीकिनगर के द्वारा बताया गया कि मृतक भूपदेव कुमार, उम्र करीब–18 वर्ष, पिता भीम महतो, ग्राम–सिमरीडीह, थाना–वाल्मीकिनगर, पटना से इन्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण कर वापस घर लौटा था तथा उन्हें घटना के क्रम में गोली लगी।

2-8 Jh Bxb jk;] firk Lo0 txy jk;, ग्राम अमवा, थाना नौरंगिया जो मृतक अनिल राय के भाई हैं, के द्वारा बताया गया कि मृतक अनिल राय, उम्र करीब–12 वर्ष, पिता श्री कृष्णा राय छठी कक्षा में हरनाटांड़ में पढ़ाई करते थे एवं इनके पिता बाहर में काम करते हैं।

2-9 उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि श्री शिवमोहन कुमार, पिता जिंदा महतो, ग्राम कटहरवा, थाना नौरंगिया गोरखपुर में ईलाजरत हैं। शिवमोहन कुमार के परिवार का कोई भी सदस्य वहां उपस्थित नहीं था।

2-10 t[eh Jh jkt'k nfgr] i0&Jh t[[kk nfgr, साकिन एवं थाना–नौरंगिया का बयान बेतिया अस्पताल, बेतिया में लिया गया। उनके बायें पैर में गोली लगी है। उन्होने बताया कि एक आदमी गायब था, उसे खोजने के लिए पब्लिक के साथ गए थे। पब्लिक मांग कर रही थी कि जो मुजरिम पकड़ा गया है उसको बुलाकर लाईये। जब वह नहीं लाया गया तो पुलिस पर पत्थर चलाया गया, जिसपर पुलिस ने फायरिंग कर दिया।

2-11 t[eh thou yky dkth] i0&efDr dkth, साकिन मुरई, थाना–नौरंगिया, के दाहिने कंधे में गोली लगने की बात बताई गई। *fjfrd dqekj] i0&tk[ku egrk]* साकिन–सिमरीडीह, थाना–बाल्मिकीनगर, के बाएँ केहुनी में गोली लगने की बात बताई गई। *gfjFk egrk] i0&ckYgk egrk,* साकिन–दादरी, थाना–बाल्मिकीनगर, के दाहिने कंधे पर गोली लगने, *pUn'k[kj egrk] i0&vkejkt egrk]* साकिन–करैया, थाना–नौरंगिया, के दाहिने जाँघ में गोली लगने एवं *vLyhe fe;k] i0&fcgkjh fe;k]* थाना–नौरंगिया के पीठ में गोली लगने की बात बताई गई। इन लोगों के द्वारा भी घटनाक्रम के संबंध में जख्मी श्री राजेश दहित द्वारा दिए गए बयान के जैसा ही लगभग बयान दिया गया।

3- <u>ifyl inkf/kdkfj;k ,o ifyl dfe;k dk c;ku</u> %&

3-1 Fkkuk/;{k] ukjfx;k] i0v0fu0 fou; dqekj flag] i0 Jh 'kyUnz ukFk flag ने बयान दिया कि मैं जगदम्बानगर बसवरिया थाना नगर जिला पश्चिम चम्पारण, बेतिया का रहने वाला हूँ। मैं 2009 बैच का नियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक हूँ। मैं नौरंगिया थाना में थानाध्यक्ष के पद पर नवम्बर 2012 से पदस्थापित हूँ। दिनांक 19.06.2013 को चन्देश्वर काजी के दादाजी के द्वारा थाना में रिपोर्ट किया गया कि दिनांक 15.06.2013 की रात्रि से चन्देश्वर काजी नहीं देखा गया है, वह कहीं चला गया है। इसका सनहा दर्ज करवाये। सनहा दर्ज कर चन्देश्वर काजी का खोजबीन कर ही रहे थे, कि दिनांक 21.06.2013 को हल्ला हुआ कि अपहृत लड़का चन्देश्वर काजी का टॉर्च एवं खून का धब्बा गिरा हुआ है, जिसकी सूचना पर सत्यापन के लिए मैं घटनास्थल पर बल एवं चौकीदार के साथ पहुँचा तो ग्रामीण लोगों ने एक स्थान पर बताया कि खून जैसा दिख रहा है। लगातार तीन दिन से बारिश के कारण कुछ पता नहीं चल रहा था, इसके बावजूद घास पर गिरा बहुत हल्का खून का धब्बा का नमूना ले लिया और टॉर्च को जब्त

कर लिया और जब्ती सूची बनाएँ। दिनांक 22.06.2013 को अपहृत के पिता आवेदन दिये कि उनके पुत्र का अपहरण कर हत्या कर दिया गया है, जिसमें तीन व्यक्ति, क्रमशः, (i) रविकेश, (ii) रविकेश के पिता, एवं (iii) रविकेश के ससुर को अभियुक्त बनाया गया और शंका जताए कि अंतिम बार दिनांक 15.06.2013 को रात्रि करीब 11 से 11.30 बजे अपहृत को रविकेश के साथ देखा गया था। अगले दिन दिनांक 23.06.2013 को मैं रविकेश को गिरफ्तार कर थाना पर पूछताछ के लिए लाया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई। संभवतः राजनीति के कारण वहाँ के मुखिया मदन गौड़ के द्वारा दिनांक 24.06.2013 को ग्रामीणों को भड़काकर सुबह में नौरंगिया थाना का घेराव करा दिया गया। उनकी मांग थी कि गिरफ्तार अभियुक्त को उन्हें सौंप दिया जाय, जिस तरह मेरा लड़का मरा है, इसको भी मार देगें, नहीं तो चलके लाश बताएँ, इस बात पर अड़े हुये थे और ग्रामीण मान नहीं रहे थे, ग्रामीणों की संख्या करीब 300–400 के बीच थी, तो मैंने पुलिस निरीक्षक, बगहा अंचल एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा को सूचना दी, तो ये लोग 30–45 मिनट के अन्दर नौरंगिया थाना आ गये। लोगों को समझाने के क्रम में अन्य थाना के थानाध्यक्ष भी आ गये। पुलिस निरीक्षक, बगहा अंचल एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा के समझाने पर सभी ग्रामीण आधा घंटे के अन्दर थाना से वापस लौट गये। ग्रामीणों के थाना से हटने के 30 से 45 मिनट के बाद हम सभी लोग अपहृत चन्देश्वर काजी के घर दरदरी, थाना बाल्मीकिनगर जाने के लिए समय करीब करीब 09 से 09.30 बजे के बीच निकले और अपहृत के घर पहुँचे। अपहृत के घर पर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा के द्वारा अपहृत के भाई, परिवार एवं पत्नी से पूछताछ किये। पूछताछ करने के बाद ग्राम देवताहा थाना नौरंगिया के लिए प्रस्थान किये, जहाँ अपहृत लड़का अष्टजाम् में अपना साउण्ड बॉक्स बजाने के लिए गया था, वहाँ पर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं मैं साथ गया, जहॉ पर मात्र एक महिला थी और घर में कोई नहीं था, जिस कारण पूछताछ नहीं हो पाई। इसी दौरान मेरे मोबाईल पर फोन आया और फोन करने वाला आदमी, जो लौकरिया का एस0पी0ओ0 है, के द्वारा बोला गया कि लाश मिल गयी है, जहाँ अपहृत का टॉर्च गिरा मिला था, वहीं आम के पेड़ के नीचे लाश है। इसकी जानकारी मेरे द्वारा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक को दिया गया। इनलोगों द्वारा बोला गया कि चलो देखते हैं। सभी लोग घटनास्थल पर गए तो पहले से वहाँ करीब 100 आदमी उपस्थित थे, जिनके द्वारा बोला गया कि कोई लाश नहीं है और देखते–देखते करीब 400 से 600 लोग हमलोगों को घेर लिये और गिरफ्तार अभियुक्त की मांग करने लगे और कहने लगे कि उसको लेकर आईए, वही बतायेगा, लाश कहाँ है, नही ंतो आपलोगों को नहीं जाने दिया जायेगा, यहीं आपलोगों को काट देगें। उस भीड़ में मैं, थानाध्यक्ष, लौकरिया थाना, बाल्मीकिनगर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक श्री दिवाकर काजी और पुलिस निरीक्षक, बगहा से लोग भिड़े हुए थे। ग्रामीण लोगों को समझाते–बुझाते करीब दो से ढाई घंटे बीत गया, इस बीच बाहर से ग्रामीण के हाथ में रड, कुदाल, डंडा आ गया और ग्रामीण पुलिस पार्टी को पत्थर, डंडा से मारने लगे और मेरे द्वारा हाथ में रखा गया डायरी, जिसमें काण्ड का जब्ती सूची था, को ग्रामीणों द्वारा छीन लिया गया, तब पुलिस निरीक्षक द्वारा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को फोन किया गया। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी साहेब करीब डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी पर पुल के पास खड़े थे और फोर्स का इन्तजार कर रहे थे, जब फोर्स आ गया तो हमलोगों को बचाने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भीड़ में आएँ, वहॉ आकर ग्रामीणों को बोले कि चलो लाश को खोजते हैं, और हमलोगों को भीड़ से निकालने का प्रयास करने लगे, इतने में भीड़ को जब लगा कि हमलोग वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो भीड़ उग्र हो गयी और ईंटा–पत्थर चलाने लगी, तो

हमलोग भागे तो ग्रामीण पीछा करने लगे और कुछ आगे जाने पर एक सिपाही को ग्रामीण पकड़ लिये और कीचड़ में सर को डुबाकर मारने लगे तथा हथियार छीनने का प्रयास करने लगे। सिपाही के चिल्लाने पर पीछे से अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी द्वारा बोला गया कि जल्दी से फायर करो, नहीं तो मार देगा। तो मेरे द्वारा एक हवाई फायरिंग किया गया, तो ग्रामीण थोड़ा डर गये और पीछे हट गये, तब हमलोग सिपाही को उठा लिये और भागने लगे। ग्रामीणों द्वारा सिपाही को मारकर सर फोड़ दिया गया था। अगर मेरे द्वारा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के कहने पर फायर नहीं किया गया होता तो उक्त सिपाही को ग्रामीण पीट–पीटकर मार देते। सिपाही को बचाकर भागते–भागते जब हमलोग घुटरी पुल (दो नहर) के पास पहुँचे, तो बाल्मिकीनगर थाना की जीप पहले से लगी हुई थी, और उसी जीप से हमलोग आए थे। उस पुलिया के पास करीब 250–300 ग्रामीण खड़े थे और हमलोगों के पहुँचते ही पत्थर चलाने लगे और जान मारने का हल्ला करने लगे और बोलने लगे कि ये लोग गोली नहीं चलाएगा, इनलोगों को पकड़कर मारो। उक्त स्थान पर जब हमलोग दोनो तरफ से घिर गये, तो हमलोग वहाँ से भागकर चलकर रोड पर आ गये। पुल के पास ग्रामीण द्वारा फिर एक सिपाही को पकड़ लिया गया और उसको मारने लगे तथा उसका सर फोड़ दिये और बाल्मीकिनगर थाना की जीप को उलटकर उसमें आग लगाने का प्रयास करने लगा। इसी बीच हमारे पीठ पर एक पत्थर लगा और ग्रामीण द्वारा रड चलाया गया, जो मेरे बायें हाथ पर लग गया। ग्रामीणों द्वारा सिपाही को पकड़कर जान मारने की नीयत से पीटा जा रहा था, तो उक्त सिपाही की जान बचाने और पुलिस जीप को आग लगाने से बचाने के लिए मेरे द्वारा एक हवाई फायर किया गया, जिसपर ग्रामीण रूक गये और उक्त सिपाही उठकर भागा और हमलोग भी भागे। आगे पहले से करीब 100–150 ग्रामीण खड़े थे, जो हमलोगों को ईंट–पत्थर चलाकर खदेड़ने लगे। उक्त स्थान पर हमलोग तीन तरफ से धिर गये थे। उक्त स्थान पर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं उनके बॉडीगार्ड घिर गये, तो मेरे द्वारा उन्हें बचाने के लिए हम उनके पास गये और खेत से होकर भागने लगे और करीब 75 से 100 मीटर आगे गये तो जो फोर्स रोड पर थी, वो फायरिंग कर रही थी। फायरिंग पर सारे ग्रामीण रूक गये और पीछे हट गये तो मैं, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के साथ रोड पर आ गये। जब कुछ लोग जख्मी हो गये तो फायरिंग बंद हो गयी, तब हम सिपाहियों से पूछे कि फायरिंग क्यों किये तो उनके द्वारा बोला गया कि एस.डी.पी.ओ. साहब बोले कि चारो तरफ से घिर गये हैं, अब फायर करो नहीं तो सभी को ग्रामीण मार डालेगा। वहाँ पर मौजूद सिपाहियों में से करीब 10–12 सिपाही का सर फटा हुआ था। पुलिस जीप से जख्मियों को ईलाज हेतु अनुमण्डल अस्पताल पहुँचाया गया।

3-2 Jh n;kukFk >k] vkj{kh fujh{kd] cxgk ने बताया कि वे नौरंगिया थाना के निरीक्षण के क्रम में दिनांक 24.06.2013 को नौरंगिया थाना गये थे। लगभग 10:00 बजे पूर्वाहन में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा द्वारा दरदरी ग्राम आने हेतु कहा गया। गाड़ी जाने लायक रास्ता नहीं रहने के कारण पैदल दरदरी चौक पर पहुंचे, तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा के साथ एक ही गाड़ी पर जो वाल्मीकिनगर थाना की थी, से अपहृत लड़के के गांव दरदरी में उसके घर पर पहुंचकर हमलोगों के द्वारा उसके पिता एवं परिवारवालों को बुलाकर समझाया गया, जहां महिला–पुरूष लगभग तीन–चार सौ की संख्या में जमा थे, वे लोग वास्तविकता को जानकर आसानी से मान गये, तथा जमा भीड़ धीरे–धीरे हटने लगी।

मैं, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा एवं नौरंगिया थानाध्यक्ष चन्देश्वर काजी के घर दरदरी पहुंचे। अंतिम बार जहाँ अपहृत लड़के को देखा गया था (जहाँ कीर्तन हुआ

था) वहां अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा, मैं, थानाध्यक्ष, वाल्मीकिनगर एवं थानाध्यक्ष, नौरंगिया ने कीर्तन के आयोजनकर्त्ता का बयान लिया। बयान में बताया गया कि अपहृत लड़का दिनांक 15.06.2013 को लगभग 12:00 बजे रात्रि तक कीर्तन में था, फिर उसके बाद वहाँ नहीं देखा गया।

इसी बीच नौरंगिया थानाध्यक्ष ने बताया कि अपहृत लड़के की लाश आम के पेड़ के नीचे पाए जाने की खबर डी.एन. मास्टर नामक व्यक्ति ने एस.पी.ओ. सनोज कुमार को दिया है। खबर मिलते ही हमलोग बताए हुए स्थान के लिए चल दिये। वहाँ गए तो पाया कि लोग तीन टुकड़ी में खड़े थे। प्रथम टुकड़ी के व्यक्तियों से जब हमलोगों ने पूछा कि बताईए कहाँ लाश है, तो उनलोगों ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा कि खोजिए कि कहाँ लाश है। आगे खड़ी दोनों टुकड़ियों ने भी पूर्व की भांति वैसे ही रूखे एवं आक्रोशित स्वर में कहा कि लाश का पता लगाना आपलोगों का काम है। इसी बातचीत के दौरान तीनों टुकड़ी एक जगह जमा हो गई तथा अन्य 50 महिलाएँ भी जमा हो गई, तथा हमलोगों को घेर लिया, तथा हमलोगों से अपहृत लड़के के प्राथमिकी के संदर्भ में नौरंगिया थाना द्वारा हिरासत में रखे गए लड़के को उन लोगों के हवाले कर देने हेतु दबाव बनाये जाने लगा। हमलोगों के द्वारा उनलोगों को समझाया बुझाया गया कि पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी, आपलोग निश्चिन्त रहें, परन्तु हमलोगों के समझाने बुझाने पर वे लोग नहीं माने तथा लड़के को हैण्ड ओभर कर देने के लिए दबाव बनाने लगे और आक्रोशित हो गए और हाथापाई पर उतर आए। इस पर हमलोग वहाँ से तेज गति से वापस जाने लगे, ताकि हमलोग जल्दी से वहाँ से निकल सकें। इसी दरम्यान सैप के जवान इन्द्रेश प्रसाद को भीड़ में मौजूद कुछ लोग मारने लगे। मैं और अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा आगे–आगे चल रहे थे। हमलोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि इन्द्रेश प्रसाद को लोग जमीन पर गिराकर पीट रहे है। हमलोगों ने डण्डा वगैरा भांजकर उक्त सिपाही को लेकर भाग कर नहर के किनारे पहुंचे। वहां भी पूर्व से काफी अधिक भीड़ जमा थी। वह भीड़ हमलोगों पर पथराव करने लगी। निर्माणाधीन सड़क के किनारे के पत्थर एवं ईंट उठाकर पुलिस पर एकत्रित लोगों द्वारा चलाया जाने लगा, जिससे मुझे दाहिनी हाथ पर गंभीर चोट लगी है तथा कंधा पर भी ईंट से चोट लगी है। जब एकत्रित भीड़ ने हमलोगों पर जानलेवा पथराव शुरू कर दिया तो भीड़ को डराने हेतु नौरंगिया थानाध्यक्ष द्वारा अपने पिस्तौल से दो राउन्ड हवाई फायर किया गया। उसपर भी लोगों द्वारा पथराव किया जाना कम नहीं हुआ, तथा सेमरा थानाध्यक्ष को ईंट से जबरदस्त चोट लगी। फिर भीड़ को डराने के नीयत से सेमरा थानाध्यक्ष ने भी दो राउण्ड हवाई फायर किया। एकत्रित लोग पुलिस पार्टी को जान से मारने पर उतारू होते जा रहे थे। पटखौली थानाध्यक्ष को ईंट से बहुत जबरदस्त चोट लगी तथा वे गिर गये। गिरने पर एकत्रित लोगों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। अपने आत्मरक्षा तथा बचाव में उन्होने दो राउण्ड फायर किया, लेकिन एकत्रित लोगों की उग्रता और बढ़ती गई। पथराव से दो–तीन सिपाही जमीन पर गिर गये, तथा उनको जान से मारने हेतु जब भीड़ द्वारा प्रयास किया गया तो वैसी परिस्थिति में अपने जान तथा हथियार की रक्षा हेतु मजबूर होकर सिपाहियों द्वारा गोलियां चलाई गई। घटनाक्रम में चली गोली का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) सैप–996 बबन कुमार, इनसास रायफल से :– तीन चक्र।
(ii) सैप–669 शशिभूषण सिंह, इनसास रायफल से :– तीन चक्र।
(iii) सैप–1066 निर्मल ठाकुर, एस.एल.आर. से :– दो चक्र।
(iv) सैप–10533 इन्द्रेश कुमार, इनसास रायफल से :– दो चक्र।

(v) डी.ए.पी.–58 अमरजीत राम, रायफल से :– चार चक्र।
(vi) डी.ए.पी. हवलदार शम्भु राम, कारवाईन से :– चार चक्र।
(vii) बी.एम.पी. 354–चेतनारायण चौधरी, ए.के.47 से :– तीन चक्र।
(viii) बी.एम.पी.–273–मिथिलेश कुमार, एस.एल.आर से :– दो चक्र।
(ix) बी.एम.पी.–32 पंकज कुमार, इनसास रायफल से :– दो चक्र।
(x) सब इस्पेक्टर विनय कुमार सिंह, पिस्टल से :– चार चक्र।
(xi) सब इस्पेक्टर राजेश कुमार, पिस्टल से :– दो चक्र।
(xii) सब इस्पेक्टर किशोरी चौधरी, पिस्टल से :– दो चक्र।

उक्त फायरिंग के पश्चात् चार–पांच आदमी गोली लगने से गिरे, तब जाकर भीड़ वहां से तीतर–बीतर हुई। यह क्षेत्र माओवाद प्रभावित है। इसलिए यह काण्ड पुलिस को धोखा देकर मारने का प्रयास है।

3-3 इसके अतिरिक्त सेमरा थानाध्यक्ष श्री राजेश कुमार (पु.अ.नि.), लौकरिया थानाध्यक्ष राजन कुमार पांडेय (पु.अ.नि.) तथा पटखौली थानाध्यक्ष श्री किशोरी चौधरी (पु.अ.नि.) से पूछताछ की गई, जिन्होंने लगभग उसी तरह का घटनाक्रम बताया, जैसा आरक्षी निरीक्षक, बगहा द्वारा बताया गया।

3-4 vu|eMy i|fy l ink/f/kdkjh] cxgk] Jh 'k|y|'k d|ekj flUgk द्वारा बताया गया कि घटना की तिथि को सुबह में थाना का घेराव की सूचना प्राप्त होने पर वे नौरंगिया थाना पहुँचे और लोगों को समझा बुझाकर थाने का घेराव समाप्त कराया। वहाँ थाने पर स्थिति सामान्य होने के बाद वे अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ चन्देश्वर काजी के घर गये और उनसे जानकारी प्राप्त किया। इसके बीच नौरंगिया थानाध्यक्ष के मोबाईल पर श्री सनोज कुमार, एस.पी.ओ. ने फोन किया कि डी.एन. मास्टर के द्वारा अपहृत का लाश मिलने की सूचना दी गयी है, जिसपर वे पुलिस इंस्पेक्टर श्री डी.एन.झा, बाल्मिकीनगर के जे.एस.आई. श्री दिवाकर काजी, लौकरिया और नौरंगिया के थानाध्यक्ष तथा अपने दो बॉडीगार्ड और इंस्पेक्टर के एक बॉडीगार्ड को लेकर जाँच करने चल दिए। वहाँ पहुँचने पर भीड़ ने हमलोगों को घेर लिया और अभियुक्त को सौंपने की मांग करने लगे। इसके बाद उन्होने फोन करके कुछ और थानाध्यक्षों को पुलिस बल के साथ आने को कहा, जिसके लगभग डेढ़–दो घंटे के बाद पटखौली, बगहा और सेमरा के थानाध्यक्ष अपने पुलिस बल के साथ पहुँचे। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा, पुलिस निरीक्षक, बगहा एवं अन्य पदाधिकारी के द्वारा भीड़ को लगातार समझाने तथा उन्हें अनुसंधान में सहयोग करने का अनुरोध किया जाता रहा, लेकिन भीड़ पर कोई असर नही पड़ा। अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने के पश्चात सभी पुलिस उक्त स्थल से बाहर निकलने का प्रयास किये। उपस्थित लोगों के द्वारा पुलिस को निकलने नहीं दिया गया। महिलाओं को आगे किया गया तथा पुरूष पीछे रहकर पुलिस को रोकने लगे। भीड़ के घेरा से बाहर निकलने के लिए पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज प्रारम्भ किया गया तथा लोगों को तितर–बितर करते हुए तेजी से भागते हुए दोन नहर के रोड तक निकलने का प्रयास किया गया। रोड से लगभग 300 मीटर तक पुलिस बल पहुंच सका, परन्तु उग्र भीड़ ने रोड की दिशा से पूरी तरह घेर लिया तथा रोड पर से रोड़ा–बाजी करने लगे। रोड पर लगा पुलिस जीप को पलट कर शीशा तोड़ दिया गया। रोड़ा–बाजी से पुलिस बल जख्मी होने लगा। थानाध्यक्ष, पटखौली, किशोरी चौधरी भी जख्मी हो गये। भीड़ के द्वारा हथियार को छीनने का प्रयास किया गया। जब कई सिपाही घायल हो गये और उन्हें अपनी जान जाने का खतरा लगने लगा तो सिपाहियों ने आत्मरक्षा में फायरिंग शुरु कर

दी, जिससे कुछ लोग गिर गये और तब स्थिति नियंत्रित हुई। पुलिस के द्वारा फायरिंग के पश्चात भीड़ तितर–बितर हो गयी। भीड़ के तितर–बितर होते ही उपस्थित पुलिस बल, जिसकी संख्या लगभग 35 थी, के द्वारा फायरिंग के दौरान जख्मी लोगों को इकट्‌ठा किया गया और उपलब्ध पुलिस वाहनों से घायल व्यक्तियों को अनुमण्डल अस्पताल, बगहा भेज दिया गया तथा घटना स्थल से सभी पुलिस बल निकल गये।

3-5 Jh geyky i|lkn] fl ikgh l|[;k&273] अंगरक्षक पुलिस निरीक्षक, बगहा द्वारा बताया गया कि अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा तथा इंस्पेक्टर साहेब एवं हमलोग सात–आठ आदमी नौरंगिया थाना गये। वहां से अपहृत के घर गये। अपहृत के भाई के कहने पर कीर्तन वाले जगह पर पहुंचे, वहां पर फोन पर सूचना मिली कि अपहृत का लाश मिला है। वहां पहुंचने पर हमलोगों को भीड़ ने घेर लिया तथा हमलोगों को मारना शुरू किया। हमलोग वहां से लगभग एक किलोमीटर दूरी तक अपनी जान बचाने हेतु भागे, तथा रोड पर पहुंचे। वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। लोगों ने हमलोगों पर पथराव शुरू कर दिया तथा सैप के जवान का हथियार छीनने का प्रयास किया, तब हथियार की रक्षा एवं अपनी जान बचाने के नीयत से लोगों को तितर–बितर करने एवं डराने हेतु कुछ थानाध्यक्षों ने हवाई फायर शुरू किया। फिर भी लोग नहीं माने तथा पुलिस पर जानलेवा हमला बोल दिये। मजबूर होकर सिपाही लोगों ने गोली चलाई। गोली लगने से कुछ आदमी के गिर जाने पर भीड़ वहां से भागने लगी, तब जाकर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की जान बची।

3-6 Jh l|rk"k d|ekj iIi|] fl ikgh l|[;k&42] अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा के अंगरक्षक द्वारा भी लगभग उसी प्रकार की बातें दोहराई गई, जैसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया था और उन्होंने यह कहा कि अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बगहा के मना करने पर उन्होंने गोली नहीं चलाई।

3-7 इस घटना में अन्य घायल पुलिस कर्मी सैप संख्या–1066, *Jh fuely Bkd|j* के सर पर खून बहता हुआ जख्म, बायें कान के नीचे खून बहता फूला हुआ जख्म था, सैप संख्या–791, *Jh fcUnk i|lkn fl|g*, के सिर, पीठ और पैर पर चोट लगी है और पैर का नाखून फटा है। सैप संख्या–10533, *Jh bUn|'k i|lkn*, के माथा पर खून बहता जख्म एवं शरीर कई जगह से फूला हुआ। सैप संख्या–996, *Jh ccu Bkd|j*, के सर पर चोट एवं पीठ में कई स्थानों पर पत्थर की चोट से फूला हुआ पाया गया। इन लोगों के द्वारा भी वैसा ही बयान दिया गया और लगभग उसी प्रकार का घटनाक्रम बताया, जैसा कि अन्य पुलिस कर्मियों ने अपने बयान में बताया है।

3-8 श्री सुनील कुमार, पुलिस अधीक्षक, बगहा ने बताया कि दिनांक 24.06.2013 को वे सुबह से ही बेतिया में आपदा प्रबंधन विषय पर सरकार द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गए थे। पुलिस घेरे जाने की घटना की सूचना मिलने पर मैंने जिला पदाधिकारी, बेतिया को करीब 14:45 बजे व्यक्तिगत रुप से सूचित किया था एवं परिचारी प्रवर व कई थानाध्यक्षों को फौरन बल के साथ जाने का निर्देश दिया था। बेतिया से प्रस्थान कर मैं घटना स्थल पर पहुँचा करीब 16:30 बजे शाम में गोलीबारी की घटना की घट चुकी थी। उसके बाद मैंने घटना स्थल का निरीक्षण कर घायलों को ईलाज हेतु बगहा पहुँचाने की व्यवस्था की एवं विधि एवं व्यवस्था सामान्य करने की कार्रवाई की।

4- इस संबंध में लौकरिया थाना के एस.पी.ओ. श्री सनोज, साकिन हरनाटाँड़ से पूछताछ कराई गयी, जिसमें सनोज ने बताया कि उसे डी.एन. मास्टर, साकिन हरनाटाँड़ ने हरनाटाँड़ बाजार में यह बताया कि डी.एन. मास्टर के भाई द्वारा डी.एन. मास्टर को

बताया गया था कि चन्देश्वर काजी का शव कटहरवा में आम के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। सनोज ने बताया कि डी.एन. मास्टर के कहने पर उसने यह सूचना अपने मोबाईल द्वारा नौरंगिया थानाध्यक्ष को दिया था।

5- जाँच दल द्वारा इस घटना की साजिश एवं षडयंत्र के पीछे मुख्य भूमिका में बताए जा रहे डी.एन. मास्टर को बुलाकर पूछताछ करने का प्रयास किया गया, किन्तु वे अपने गृह क्षेत्र से गायब बताए गए, जिसके कारण जाँच दल द्वारा उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी।

6- ih-,e-lh-,p- ¼iVuk efMdy dkyst ,.M gkfLiVy½ esa HkrhZ gq, ?kk;y 0;fDr;ksa dk c;ku&

6-1 पी.एम.सी.एच. (पटना मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल) में भर्ती हुए घायल व्यक्तियों श्री गणेश कुमार महतो, श्री कमलेश कुमार राय, श्री अस्लिम मियाँ, श्री रितिक कुमार, श्री हरिनारायण महतो, श्री मदन महतो और राजेश महतो की स्थिति के संबंध में एवं उनसे घटना के संबंध में पूछताछ की गई।

6-2 Jh x.k'k dqekj, पे.–रविन्द्र महतो, थाना–वाल्मिकीनगर को रीढ़ की हड्डी (Spinal cord) में गोली लगी है। उपस्थित चिकित्सक डा. विमल मुकेश द्वारा बताया गया कि इनके शरीर का निचला हिस्सा paralysed हो गया है और इनके रीढ़ की हड्डी (Spinal cord) टूट गयी है। इससे स्पष्ट है कि ये काफी गंभीर रुप से जख्मी हुए हैं।

श्री गणेश कुमार ने बताया कि ये कटहरवा गाँव में आये थे, वहाँ जब पुलिस के लोग आये तो उनसे आम जनता मांग कर रही थी कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें कटहरवा गाँव लेकर आईए ताकि लाश के बारे में पूछताछ कर उनसे लाश बरामद की जा सके, परन्तु पुलिस पार्टी लाश खोजती रही, जिससे पब्लिक नाराज हो गई, उसके बाद और पुलिस आई तो पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प होने लगी। लाश नहीं मिलने के आक्रोश से पुलिस पार्टी को लोग खदेड़ने लगे। इसी बीच पुलिस पार्टी ने कुछ महिलाओं पर लाठी चार्ज कर दिया, जिससे भीड़ और आक्रोशित हो गयी और पुलिस पार्टी को भीड़ खदेड़ने लगी। जब पुलिस पार्टी रोड के पास आयी तो पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव किया, इस पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग किया, जिससे कई लोग मर गये एवं जख्मी हो गये।

6-3 Jh dey'k dqekj के संबंध में चिकित्सक ने बताया कि गोली इनके पेट के बाहरी हिस्से में लगकर निकलते हुए दाहिने हाथ में लगी, जिससे इनके दाहिने हाथ में fracture हुआ है। वर्तमान में इनकी स्थिति ठीक है और इन्हें खतरे से बाहर बताया गया।

6-4 Jh vfLye fe;k के संबंध में चिकित्सक ने बताया कि गोली इनकी छाती में पीछे से गोली लगी है, जो अभी शरीर में ही मौजूद है। इनकी स्थिति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि इनकी स्थिति खतरे से बाहर बतायी गयी।

6-5 Jh fjfrd dqekj के संबंध में चिकित्सक ने बताया कि गोली इनके हाथ में लगी थी, जो निकल गयी। वर्तमान में इनकी स्थिति stable है और किसी प्रकार का खतरा नहीं है।

6-6 Jh gfjukjk;.k egrk के संबंध में चिकित्सक द्वारा बताया गया कि गोली अभी शरीर में है और तुरंत निकालने से complications हो जायेंगे। अतः अभी इनकी स्थिति को watch में रखने की आवश्यकता है।

6-7 Jh jkt'k egrk के संबंध में चिकित्सक ने बताया कि गोली इनके पैर में लगकर बगल से निकल गयी और ये खतरे से बाहर है।

6-8 पी.एम.सी.एच. में भर्ती घायल व्यक्तियों में श्री कमलेश कुमार राय, श्री अस्लिम मियाँ, श्री रितिक कुमार, श्री हरिनारायण महतो और राजेश महतो ने पूछताछ के क्रम में लगभग उसी तरह का घटनाक्रम बताया, जैसा कि घायल गणेश कुमार द्वारा बताया गया।

6-9 Jh enu egrk के संबंध में चिकित्सक ने बताया कि गोली इनके पाँव में लगकर निकल गयी, जिसकी वजह से fracture हुआ है। श्री मदन महतो ने बताया कि मैं केनाल पकड़कर आ रहा था, भीड़ देखकर मैं रुक गया, पुलिस के पीछे पब्लिक दौड़ रही थी। जब पुलिस रामनगर, बाल्मिकीनगर रोड पर आयी तो पब्लिक पुलिस के बीच और ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। लोग पुलिस पर पथराव करने लगे। इस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिससे गोली मेरी पाँव में लगी।

7- ?kVuk esa e`rd ,oa ?kk;y 0;fDr;ksa rFkk ?kk;y iqfyl dfe;ksa dh lwph%&

7-1 इस घटना में मृत व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है :–

Øekad	*e`rd dk uke ,oa firk dk uke ,oa me*	*irk*
1	ब्रह्मदेव खतइत, पे.–स्व. अमर खतइत	ग्राम–देवताहाँ, थाना–नौरंगिया
2	धर्मजीत खतइत, पे.–स्व. अमर खतइत,	
3	तुलसी राय, पे.–स्व. सुखदेव राय	ग्राम–सेमरा घुसुकपुर
4	अनुप कुमार, पे.–भीम चौतरिया	ग्राम–सेमरीडीह
5	भूपदेव कुमार, पे.–भीमबली महतो	ग्राम–दरदरी, थाना–नौरंगिया
6	अनिल राय, पे.–किशुन राय	ग्राम–आमवा

7-2 इस घटना में निम्नलिखित व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है :–

Øekd	*?kk;y 0;fDr;ksa dk uke ,oa firk dk uke ,oa me*	*irk*
1	गणेश कुमार, पे.–रामचन्द्र महतो	दरदरी, नौरंगिया
2	मदन महतो, पे.–सीताराम महतो	कठिया, नौरंगिया
3	कमलेश राय, पे.–बंशराज राय	अमुआ, गोनोली
4	रितिक कुमार, पे.–जोखन महतो	सेमरीडीह, गौनोली
5	चन्द्रशेखर महतो, पे.–ओमराज महतो	कठिया, नौरंगिया
6	हरिनारायण महतो, पे.–पोलखा महतो	दरदरी, वाल्मिकीनगर
7	राजेश महतो, पे.–झंकर दहित	नौरंगिया
8	मोहन कुमार, पे.–विशुनी मिस्त्री	गौरी बेलवा, वाल्मिकीनगर
9	राजन कुमार, पे.–सुग्रीव महतो	केरई, नौरंगिया
10	असलम मियाँ, पे.–बिहारी मियाँ	दरदरी, नौरंगिया
11	गया महतो, पे.–भोला महतो	दरदरी, वाल्मिकीनगर
12	सुरेन्द्र कुमार, पे.– चन्द्रिका काजी	दरदरी, वाल्मिकीनगर
13	भुपेन्द्र महतो, पे.–तुलसी महतो	दरदरी, वाल्मिकीनगर
14	जवाहरलाल काजी, पे.–मुक्ति काजी	नौरंगिया
15	भागीरथी कुमार, पे.–सेरह महतो	मैयबा, हरनाटाँड़

16	शिव मोहन कुमार, पे.–जिन्दे महतो	कटहरवा, नौरंगिया
17	केशराज खतई, पे.–जगदीश खतई	देवताहा, वाल्मिकीनगर
18	दुलार महतो, पे.–शंकर महतो	नौरंगिया
19	मुकेश कुमार, पे.–रुपनारायण	हरनाटाँड़
20	लीलावती देवी, जौजे–रामेश्वर ओजैया	देवताहा, वाल्मिकीनगर
21	दिनेश राय, पे.–बलिराम राय	अमवा

7-3 इस घटना में 25 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं, जिनकी विवरणी इस प्रकार है :–

Øekd	*deh@inkf/kdkjh dk uke] firk dk uke ,oa irk*
(i)	हवलदार शंभु राम, पिता–स्व. सीताराम, पता–नौरंगिया थाना
(ii)	शैलेश कुमार सिन्हा, एस.डी.पी.ओ., बगहा
(iii)	दयानाथ झा, पिता–स्व. अभिराम झा, पुलिस इंसपेक्टर, बगहा
(iv)	निर्मल कुमार ठाकुर, पिता–स्व. तेजनारायण ठाकुर, सैप–1066
(v)	इन्देश प्रसाद, पिता–भगुना प्रसाद, सैप–10133
(vi)	रविन्द्र प्रसाद, पिता–स्व. पुनित भगत, सैप–791
(vii)	चन्द्रकान्त राम, पिता–राम सागर राम, सिपाही–413
(viii)	बबन ठाकुर, पिता–कैलाश ठाकुर, सैप–996
(ix)	राजेश कुमार, पिता–सुखदेव शर्मा, सेमरा थाना
(x)	किशोरी चौधरी, पिता–खेदन चौधरी, पटखौली ओ.पी.
(xi)	मुक्कदर खान, पिता–म. रासीद खान, नौरंगिया थाना, सिपाही–470
(xii)	विनय कुमार सिंह, सब इंसपेक्टर, नौरंगिया थाना
(xiii)	दिवाकर कुमार काजी, पिता–स्व. देवनाथ काजी, वाल्मिकीनगर थाना
(xiv)	राजेन्द्र कुमार शर्मा, पिता–श्यामबिहारी शर्मा, पुलिस अवर निरीक्षक, थाना–नौरंगिया
(xv)	पंकज कुमार पंकज, पिता–श्री मनीधर, सिपाही, नौरंगिया थाना
(xvi)	चेतनारायण राय चौधरी, पिता–शंकर चौधरी, नौरंगिया थाना
(xvii)	मनोज कुमार मल्ल, पिता–सिंगेश्वर मल्ल, वाल्मिकीनगर थाना
(xviii)	अमरजीत राम, पिता–झगरु राम, वाल्मिकीनगर थाना
(xix)	मिथिलेश कुमार गुप्ता, स्व. सुग्रीव साह, नौरंगिया थाना
(xx)	रामजतन राय, पिता–रामनन्दन राय, वाल्मिकीनगर थाना
(xxi)	मोहन कुमार, पिता–स्व. रामनन्दन सिंह, वाल्मिकीनगर थाना
(xxii)	राजन कुमार पाण्डेय, पिता–रामाशंकर पाण्डेय, थानाध्यक्ष
(xxiii)	सुरेश प्रसाद सिंह, पिता–राजेन्द्र सिंह, सैप–4809, लौकरिया
(xxiv)	शशी भूषण सिंह, पिता–विक्रमादित्य सिंह, सैप–669, लौकरिया
(xxv)	विन्दा प्रसाद सिंह, सैप–791, पिता–श्री पुनीत प्रसाद, दौलतपुर

8- *8-1* गुप्त रूप से यह भी सूचना जाँच दल को प्राप्त हुई है कि संभवतः मृतक चन्देश्वर काजी की पत्नी का प्रेम प्रसंग किसी अन्य व्यक्ति से शादी से पहले था। यह व्यक्ति या तो अभियुक्त रविकेश काजी या उसका परिचित था। क्षेत्र में इस बात की चर्चा थी कि एक साजिश के तहत चन्देश्वर काजी को रविकेश एवं उसके सहयोगियों द्वारा मार दिया गया। *p;fd vHkh rd 'ko dh cjkenxh ugh gbl g] vr% ;g fuf'pr :i l ugh dgk tk ldrk g fd pUn'oj dkth dh gR;k gbl g ;k mldk vigj.k gvk g ;k og viuh ethl l dgh Nqi x;k gA* लेकिन इस बात की गहन जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है कि आखिर चन्देश्वर काजी की कथित हत्या या गुमशुदगी किन कारणों से हुई ?

8-2 कुछ लोगों ने यह भी कहा कि चन्देश्वर काजी को घटना के दिन किसी लड़की के साथ बगहा बाजार में देखा गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

9- l eh{kk:–

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं :–

9-1 इतना स्पष्ट है कि जब चन्देश्वर काजी के परिवार द्वारा दिनांक 17.06.2013 को नौरंगिया थाना में गुमशुदगी की सूचना दी गयी तो नौरंगिया थाना प्रभारी द्वारा कोई सनहा दर्ज नहीं किया गया और उल्टे नौरंगिया थाना से उन्हें बाल्मिकीनगर थाना भेजा गया। जब वे 18.06.2013 को सनहा दर्ज करने हेतु बाल्मिकीनगर थाना गये तो वहां भी सनहा दर्ज नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि नियमतः यदि प्राथमिकी दर्ज करने हेतु किसी अन्य थाना में भी आवेदन दिया जाता है तो संज्ञेय अपराध होने पर जिस पुलिस पदाधिकारी को सूचना मिलेगी, उसके द्वारा पीड़ित का बयान दर्ज किया जायेगा और प्राथमिकी दर्ज करने हेतु उसे संबंधित थाना पर विशेष दूत के साथ भेज दिया जायेगा। किन्तु इस निदेश का अनुपालन इन दोनों थाना के थानाध्यक्षों द्वारा नहीं किया गया। दिनांक 22.06.2013 को सूचक से लिखित आवेदन लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी। इस प्रकार यहाँ एक ओर वास्तविक घटना के दो दिन के बाद पीड़ित के परिवार वालों द्वारा थाना को सूचना दिये जाने की बात प्रकाश में आई है, वहीं सूचना प्राप्ति के दो दिन के बाद गुमशुदगी की सूचना पुनः लिखित आवेदन के रुप में प्राप्त कर सनहा दर्ज किया गया और उसके भी तीन दिनों के बाद प्राथमिकी दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने के तुरंत बाद मुख्य अभियुक्त रविकेश की गिरफ्तारी नहीं कर अगले दिन दिनांक 23.06.2013 की रात्रि को गिरफ्तारी करने की बात बताई गई– इस प्रकार सूचना प्राप्ति के छः दिनों के बाद गिरफ्तारी की गई, जिससे लोगों का आक्रोश काफी बढ़ गया और स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों ने इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण स्थिति दिनांक 24.06.2013 को काफी अधिक बिगड़ गई और नौरंगिया थाना का घेराव किया गया।

9-2 इस प्रकार पुलिस कार्रवाई में काफी विलम्ब होने के बजह से ग्रामीणों का रोष बढ़ता गया। प्राथमिकी दर्ज होने में देर की बजह से ग्रामीणों को पुलिस की नीयत पर शक बढ़ता गया। उसके बाद रविकेश और उसके ससुर कृष्णदेव काजी की गिरफ्तारी के बाद भी ग्रामीणों के अनुसार पुलिस को कथित लाश के बारे में कुछ पता नहीं चला, जिससे पुलिस के प्रति ग्रामीणों को संदेह हुआ कि पुलिस अभियुक्तों से मिली हुई है।

9-3 इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि थाना स्तर के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती तथा शीघ्र अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए त्वरित कर्रवाई की जाती तो संभवतः ऐसी घटना नहीं होती।

9-4 उक्त लापरवाही के आलोक में नौरंगिया थाना के थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक, विनय कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 25.06.2013 को निलम्बित किये जाने की सूचना दी गई। साथ ही निष्पक्ष जाँच अनुसंधान प्रभावित न हो, उसके लिए जोनल आई0जी0 द्वारा घटना स्थल पर निदेश दिया गया कि जितने पुलिस कर्मी फायरिंग में शमिल थे, उनका स्थानांतरण बगहा जिला से अन्यत्र किया जाय।

9-5 पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि लौकरिया थाना के एस.पी.ओ. (स्पेशल पुलिस आफिसर) सनोज, साकिन हरनाटांड़, ने थानाध्यक्ष को 13:19 बजे अपराह्न में नौरंगिया थानाध्यक्ष के मोबाईल पर यह सूचना दी थी कि डी.एन. मास्टर,

साकिन–हरनाटाँड, थाना–लौकरिया द्वारा उन्हें बताया गया कि चन्देश्वर काजी का शव कटहरवा गाँव में आम के पेड़ के पास है। इस प्रकार गलत उद्देश्य से चन्देश्वर काजी की लाश मिलने की भ्रामक सूचना देकर पुलिस पार्टी को ग्राम कटहरवा बुलाया गया, जिसका उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये दो अभियुक्तों क्रमशः रविकेश काजी एवं कृष्णदेव काजी को पुलिस उनके हवाले कर दे। पुलिस पार्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बगहा के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक, बगहा थानाध्यक्ष, नौरंगीया एवं बाल्मिकीनगर थाना के कनीय अवर निरीक्षक तथा तीन सिपाहियों के साथ लाश को जल्दी से कब्जे में लेने के उद्देश्य से ग्राम कटहरवा चले गये। वहाँ जहाँ जिस स्थान पर लाश होने की बात बतायी गयी थी वहाँ पहले से ही करीब दो सौ लोग मौजूद थे। थोड़ी–थोड़ी दूरी पर इसके अलावा कई महिलाओं और पुरूषों का जत्था मौजूद था। पुलिस बल द्वारा लाश को ढूंढ़ने का बहुत देर प्रयास किया। उस समय वर्षा हो रही थी। जमीन में काफी फिसलन थी। जमा भीड़ ने हंगामा करना शुरू कर दिया और कहा गया कि जबतक लाश बरामद नहीं होती है या पकड़े गये अभियुक्तों को हमारे हवाले नहीं किया जाता है, तबतक यहाँ से पुलिस बल को नहीं जाने देंगे। भीड़ पुलिस बल को चारों तरफ से घेरे हुए था। एस0डी0पी0ओ0 ने यह आश्वासन दिया कि दूसरे पदाधिकारियों के साथ उनलोगों को बुलवा रहे है। जब जाँच दल द्वारा एस.डी.पी.ओ. से पूछा गया कि आप यह गलत आश्वासन क्यों दिये तो उन्होंने बताया कि ऐसा कहकर हम धीरे–धीरे भीड़ से बाहर निकल जाना चाहते थे ताकि पुलिस एवं जनता में संघर्ष से बचा जा सके, इसी बीच समय लेकर उन्होंने फोन करके चार थानों के पदाधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस बल के साथ बुलाया था।

9-6 अतिरिक्त बल के रुप में ये सभी पदाधिकारी एवं बल अपनी गाड़ियाँ भीड़ से काफी दूरी पर खड़ा करके आ रहे थे। इस क्रम में एस0एच0ओ0 पटखोली ओ0पी, एस0एच0ओ0, बगहा एवं एस0एच0ओ0 सिमरा अपने–अपने थाना में प्रतिनियुक्त बल के साथ आये। इसी बीच भीड़ भी बढ़ती चली गयी और आक्रोशित भीड़ ने जब देखा कि पुलिस बल के साथ अभियुक्त नहीं आये है तो उन्होंने पुलिस बल पर डंडा, आस–पास में लगे पेड़ों की टहनियां एव ईंट पत्थरों से पुलिस पर हमला करना शुरु किया और पुलिस बल के मनाने पर पुलिस बल को खदेड़ना शुरू कर दिया। साथ ही जिस गाड़ी से डी. एस.पी. आये थे, उसे पलटकर गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। लगभग एक से डेढ़ किलोमीटर तक पुलिस बल को खदेड़ने के बाद पुलिस बल एक निर्माणाधीन सड़क के पास पहुंचे, जहाँ पर पड़े हुए ईंटों एवं गिट्टी से पुलिस बल पर हमला किया गया, जिससे सिपाहियों को काफी चोटें लगी। तीन–चार सिपाहियों के सर भी फट गये। एस0एच0ओ0, पटखोली ओपी के तीन दांत एवं जबड़े में चोट लगी। पहले पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पिस्टल से कुछ राउंड हवाई फायरिंग की गयी, किन्तु उससे भी भीड़ नहीं हटी। पुलिस बल पर आक्रमण जारी रहा, उसके बाद पदाधिकारियों के मना करने के बाद भी चोट लगने के कारण सिपाही सुनने को तैयार नहीं थे और प्रतिनियुक्त सिपाहियों में पहले एक ने फायरिंग की, उसके बाद भीड़ का एक आदमी गिर गया। फिर भी भीड़ बढ़ती रही। फिर सिपाहियों ने एक साथ फायरिंग की। बताया गया कि करीब दो–तीन मिनट तक फायरिंग हुई, जिसमें काफी लोग जख्मी होकर गिर गये।

9-7 जब घटना क्रम में ग्रामीणों द्वारा पुलिस पार्टी पर पथराव और काफी देर तक खदेड़ते हुए पिटाई किया गया, कई पुलिस वालों को काफी चोटें आयी, उससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गयी। वरीय पुलिस पदाधिकारी का पुलिस बल पर कोई नियंत्रण

नहीं रहा और सिपाहियों ने आत्मरक्षा में फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण छः लोगों की मौत हो गयी और कई लोग घायल हो गये।

9-8 यदि पुलिस बल द्वारा दिनांक 17.06.2013 को चन्देश्वर काजी की गुमशुदगी की सूचना प्राप्त होने के बाद से ही त्वरित कारवाई की जाती तो लोगों का आक्रोश इतना नहीं बढ़ता। जहाँ तक पुलिस फायरिंग का प्रश्न है, सभी परिस्थितियों एवं तथ्यों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि उस दिन पुलिस द्वारा काफी बड़ी भीड़ द्वारा आक्रामक रुप से हमला करने तथा काफी दूर तक (लगभग एक–डेढ़ किलोमीटर तक) भागने का प्रयास करने के बाद भी चारों तरफ से घिर जाने के बाद जब लोगों द्वारा काफी पथराव किया जाने लगा तो पुलिस कर्मियों ने जान बचाने के उद्देश्य से फायरिंग किया, जिसे परिस्थितिजन्य फायरिंग कहा जा सकता है।

9-9 चूँकि मृतक थारू जनजाति से थे, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी, अतः इस स्थिति में मानवीय दृष्टिकोण से इन सबको अनुग्रह अनुदान दिया जाना आवश्यक प्रतीत हुआ और जिला पदाधिकारी द्वारा मृतकों के परिवारों की अत्यंत दयनीय स्थिति के मद्देनजर एवं विधि व्यवस्था नियंत्रित करने के उद्देश्य से अनुमोदन की प्रत्याशा में सभी मृतक के परिजनों को चार–चार लाख रूपये का चेक अनुग्रह अनुदान के रुप में दिया गया एवं गंभीर रूप से घायलों को पचास–पचास हजार रूपये तथा साधारण रूप से घायल को पच्चीस हजार रूपया का अनुग्रह अनुदान दिए जाने के बारे में बताया गया।

9-10 घटनाक्रम की समीक्षा से यह भी प्रतीत होता है कि इस मामले में स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र ने ठीक तरीके से कार्य नहीं किया, क्योंकि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा निश्चित रुप से एक दिन पूर्व नौरंगिया थाना का घेराव करने की योजना बनाई गई होगी और उसके बाद कटहरवा गाँव में एवं उसके आसपास के लगभग सात–आठ गाँवों से सैकड़ों लोगों के जमा होने की योजना भी एक दिन पूर्व ही बनाई गई होगी, तभी उस दिन (24.06.2013 को) लगभग डेढ़–दो हजार व्यक्ति अलग–अलग स्थलों पर एकत्रित हुए, किन्तु इसकी पूर्व सूचना स्थानीय प्रशासन को नहीं हो पाई।

10- vu'klk, %&

10-1 चूंकि मृतकगण थारू जनजाति से थे, जिनके परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी, अतः ऐसी स्थिति में परिस्थितिजन्य पुलिस फायरिंग के फलस्वरूप हुए मौत के कारण जिला पदाधिकारी द्वारा मृतकों के परिजनों को दिये गये चार लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान की राशि की घटनोत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा किये जाने की अनुशंसा की जाती है। इसके साथ ही मृतकों के परिवारों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इस अनुग्रह अनुदान की राशि को बढ़ाकर पाँच लाख रुपये करने पर विचार किया जा सकता है।

10-2 इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा गंभीर रूप से घायल को 50 हजार एवं साधारण रूप से घायल को 25 हजार रुपये के घोषित मुआवजा की घटनोत्तर स्वीकृति भी सक्षम प्राधिकार द्वारा किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

10-3 थानाध्यक्ष नौरंगिया को इस घटना के संबंध में सूचना प्राप्त होने के कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करना और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी दो दिन तक गिरफ्तारी नहीं करना उनकी निष्क्रियता एवं कर्त्तव्यहीनता का स्पष्ट परिचायक

है। पुलिस अधीक्षक, बगहा द्वारा उन्हें निलंबित किया जा चुका है। उनके द्वारा की गई गंभीर लापरवाहियों, अकर्मण्यता एवं कर्तव्यहीनता के लिए उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

10-4 इस प्रकार थानाध्यक्ष, नौरंगिया द्वारा सूचना मिलने के बाद 5 दिनों से अधिक का समय बर्वाद किया गया, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ता गया, किन्तु वे इसके प्रति संवेदनहीन रहे और इस प्रकार की घटना घटित हुई। इस प्रकार की घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद भी कई दिन तक स्थानीय पुलिस प्रशासन इस संबंध में संवेदनहीन रहा जो चिंता का विषय है। इस प्रकार की स्थिति अन्य मामलों में नहीं हो, इसके लिए पुलिस तंत्र को समुचित निदेश/अनुदेश निर्गत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

10-5 थानाध्यक्ष, बाल्मिकीनगर द्वारा दिनांक 18.06.2013 को घटना की सूचना मिलने पर वयान दर्ज कर संबंधित थाना को भेजा जा सकता था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इसके लिए उनके विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई करना अपेक्षित है।

10-6 पूरे घटनाक्रम की समीक्षा से यह भी प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक, बगहा का overall leadership एवं supervision प्रसंगाधीन मामले में समुचित नहीं था। दो थानाध्यक्षों द्वारा पीड़ित परिवार के द्वारा सूचना देने के बाद भी सनहा दर्ज नहीं करना और उसके बाद भी कई दिनों तक इस संवेदनशील मामले में समुचित कारवाई नहीं किया जाना स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक, बगहा द्वारा या तो अपने अधीनस्थों को समुचित निदेश नहीं दिए गए थे या उन पर उचित नियंत्रण का अभाव था, जो पुलिस अधीक्षक, बगहा की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। अतः इन तथ्यों के आलोक में पुलिस अधीक्षक, बगहा के संबंध में उनके स्थानान्तरण/यथोचित कारवाई की अनुशंसा की जाती है।

10-7 बगहा पुलिस अनुमंडल के अन्तर्गत दो थानाध्यक्षों द्वारा चन्देश्वर काजी की गुमशुदगी की सूचना पर त्वरित रुप से सनहा/प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई करने में लापरवाही बरतना और स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब तथा गिरफ्तारी में विलंब करना स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बगहा को ऐसे मामले की समीक्षा करते हुए अपने अधीनस्थों पर उचित नियंत्रण रखना एवं उन्हें समुचित निदेश दिया जाना चाहिए था। अतः प्राथमिकी दर्ज करने एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी में विलंब के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बगहा के Proper Supervision एवं monitoring का अभाव मानते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बगहा के संबंध में स्थानान्तरण/यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।

10-8 इस घटना में घायल गणेश कुमार, जो पी.एम.सी.एच. में भर्ती है, के रीढ़ की हड्डी (spinal cord) टूट जाने के कारण उनके शरीर का निचला हिस्सा paralyse हो गया है, जो गंभीर स्थिति है। अतः गणेश कुमार की चिकित्सा राज्य के बाहर Spinal Injury से संबंधित किसी super speciality hospital में सरकारी खर्च पर करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही इन्हें अनुग्रह अनुदान के रुप में मृतकों के परिजनों के समतुल्य पाँच लाख रुपये दिए जाने की अनुशंसा की जाती है।

10-9 साथ ही पी.एम.सी.एच. में भर्ती इस घटना से संबंधित अन्य छः (6) घायल व्यक्तियों की भी चिकित्सा पर विशेष ध्यान देने की एवं सभी घायलों की चिकित्सा पर होने वाले व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की अनुशंसा भी की जाती है।

10-10 इस पूरी घटना के जड़ में पुलिस पार्टी को भ्रामक सूचना देकर बुलाना और उनका पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत घेराव कर गिरफ्तार अभियुक्तों को उनके सुपूर्द करने के लिए अनुचित एवं आक्रामक रुप से दबाव देना है, जो किसी गहरी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। इसलिए इस बिन्दु के गहन जाँच की आवश्यकता है। जबतक इस बिन्दु पर गहन जाँच कर वास्तविक तथ्यों का पता नहीं चलता है, तबतक घटना के पीछे नियोजित षडयंत्र के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होगी।

¼,l- d- Hkkj}kt½
अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था),
बिहार, पटना।

¼vkuUn fd'kksj½
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

fcgkj ljdkj
dkjk ,oa lq/kkj lsok,¡ fujh{k.kky;
x`g foHkkx

ज्ञापांक पटना, दिनांक जून, 2013।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सादर सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

egkfujh{kd]
dkjk ,oa lq/kkj lsok,¡]
fcgkj] iVukA